विचाराधीन राजस्व न्यायालय की
पूर्व दिनांक 1/9/16 को
की जायेगी।

राजस्व लोक अदालत अभियान 2016

1723-24
1.6.16

2.1.6.16 प्रकरण में आज राजस्व लोक अदालत अभियान आधार वर्ष 2016 के अन्तर्गत सामने आया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। दरख्वास्त परवादी द्वारा दिनांक 29/11/13 में भूमि आराजी ख.नं. 245/666 रकबा 10 बिस्वा को शपथपत्र वाद के स्थान पर कब्जा करने हेतु सिफारिश की है। आज ग्राम पंचायत सामनापुर सरपंच द्वारा भी लिखित में ख.नं. को शपथपत्र वाद के स्थान पर कब्जा करने की सिफारिश की है। अतः मेरा मानना है कि आराजी ख.नं. 245/666 रकबा 10 बिस्वा ग्राम सामनापुर को शपथपत्र वाद के स्थान पर कब्जा शुद्ध किया जावे। तदनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण आगे भेजा जाता है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा ले कर्यवाही। आवश्यक कार्यवाही हेतु।

इतना लिखने पर धारा 136 L.R. Act के तहत इस प्रकार किये दुरुस्ती कार्यवाही आवश्यक नहीं है। आवेदक को विधानसभा में कहते हैं कि भूमि की विधिवत पैमाईश करवाना चाहते हैं तो प्रकरण से कार्यवाही करें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र ~~प्रकरण~~ निरोत्तर पर खारीज किया जाता है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा ले कार्यवाही। आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी